भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1865

(जिसका उत्तर सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

कुल धन और नकदी

1865. श्री अनुराग शर्मा:

श्री डी.एम. कथीर आनन्दः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) आज की तिथि के अनुसार कुल धन और कुल नकदी की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार 2000 रुपये के नोटों के उपयोग और परिचालन को नियंत्रित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या जनता के पास परिचालित कुल धन 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) गत छह वर्षों में, विशेषकर वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के कार्यान्वयन के बाद से जनता में धन के परिचालन में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार नकद लेनदेन की तुलना में डिजिटल लेनदेन का अधिक उपयोग करने के लिए जनता से आग्रह कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): मौद्रिक और तरलता समुच्चयों के बारे में ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:-

सारणी: मौद्रिक और तरलता समुच्चय

मद	बकाया राशि (₹ करोड़)			
	20 नवम्बर, 2020	19 नवम्बर, 2021	18 नवम्बर, 2022	
आरक्षित धन				
(मूलधन)	33,17,074	37,67,894	41,59,065	
·				
धन की आपूर्ति				
(व्यापक मुद्रा)	1,79,37,939	1,96,45,634	2,13,97,426	
कुल जमा	1,52,22,501	1,67,19,527	1,82,33,098	

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट	1,04,34,880	1,11,62,193	1,29,47,735
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------

(ख): जनता की लेन-देन की मांग को सुविधाजनक बनाने के लिए इच्छित मूल्यवर्ग के मिश्रण को बनाए रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से भारत सरकार द्वारा एक विशेष मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की छपाई का निर्णय लिया जाता है। वर्ष 2018-19 से ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए मुद्रणालयों के समक्ष कोई नया मांगपत्र नहीं रखा गया है।

- (ग): दिनांक 02.12.2022 तक, चलन में बैंक नोटों का मूल्य ₹31,92,622 करोड़ था।
- (घ): भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, प्रत्येक वर्ष मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोटों की मात्रा और मूल्य तय करती है। बैंक नोटों की मात्रा जिन्हें व्यापक स्तर पर मुद्रित किए जाने की आवश्यकता है, मुद्रास्फीति, जीडीपी में वृद्धि, गंदे नोटों के प्रतिस्थापन, आरक्षित स्टॉक आवश्यकताओं, भुगतान के गैर-नकद तरीकों में वृद्धि आदि के कारण बैंक नोटों की मांग को पूरा करने की आवश्यकता पर निर्भर करती है।
- (ङ): भारत सरकार और आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। डिजिटल भुगतान और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

दिनांक 19.12.2022 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1865 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- i. देश में डिजिटल लेनदेन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना है। इस योजना ने बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण, सभी जनसंख्या क्षेत्रों और खंडों में रूपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और देश में डिजिटल भुगतान को और अधिक बढ़ाने में मदद की है।
- ii. व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भीम कैशबैक योजनाओं जैसी अन्य प्रोत्साहन/कैशबैक योजनाएं भीम आधार मर्चेंट प्रोत्साहन योजना, भीम-यूपीआई मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग स्कीम मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) प्रतिपूर्ति योजना, डिजिटल भुगतान को तीव्रता से अपनाने हेतु ग्राहक/व्यापारी व्यवहार को बदलने के लिए शुरू की गई थी।
- iii. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान स्वीकृति की अवसंरचना में सुधार करने और इस तरह से नागरिकों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल एप्लिकेशन आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से भ्गतान करने में सक्षम बनाने के लिए सलाह पत्र जारी किया है।
- iv. भारत सरकार (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)" नामक योजना शुरू की है।
- v. सभी बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को सुरक्षित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने और सूचना सुरक्षा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सामग्री का प्रसार पोर्टल- "www.infosecawareness.in", www.cyberswachhtakendra.gov.in के माध्यम से किया जाता है।
- vi. भीम ऐप सिहत डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्व के राजधानी शहरों में जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समाचार पत्र अभियान, डिजिटल थिएटर अभियान, एफएम रेडियो अभियान और होर्डिंग अभियान भी आयोजित किए गए हैं।
- vii. नागरिकों को डिजिटल भुगतान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रचार के पारंपरिक माध्यमों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आकस्मिक साधनों के माध्यम से विभिन्न प्रचार और जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं।
- viii. सप्ताह भर चलने वाले 'आजादी का डिजिटल महोत्सव' के भाग के रूप में, भारत सरकार ने 'डिजिटल भुगतान उत्सव' के माध्यम से भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा का उत्सव मनाया। इस दिन ने भारत में डिजिटल भुगतान की यात्रा और वृद्धि का उत्सव मनाया और

- सरकार, बैंकिंग क्षेत्र, फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअपों के अग्रणियों को एक साथ लाया गया। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वितीय वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में उपलब्धियों के लिए शीर्ष बैंकों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत और मान्यता दी गई। ix. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) मंच के साथ इसका उपयोग करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (एमओसीए) के साथ डिजिटल भुगतान शिकायतों को एकीकृत किया है। सभी प्रमुख बैंकों और वितीय सेवा संस्थानों को एनसीएच मंच पर जोड़ा गया है। यह मंच क्रियाशील (लाइव) है और डिजिटल भुगतान संबंधी शिकायतें प्राप्त कर रहा है।
- x. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिक सुविधाओं को जोड़कर और इसे समावेशी बनाकर मौजूदा डिजिटल भुगतान विकल्प के दायरे का विस्तार कर रहा है। यूपीआई123पे फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पेश किया गया था। यूपीआई लाइट, यूपीआई में एक ऑन-डिवाइस वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने जैसी विशेषताएं डिजिटल लेनदेन को और बढ़ाएगी। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान लेनदेन (कार्ड लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन आदि सहित) की सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

ख. डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- i. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से धारा 269एसयू को आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में शामिल किया गया था ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि व्यवसाय करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति, निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करेगा, भुगतान की अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए सुविधा के अतिरिक्त, यदि कोई हो, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा रही है, अगर उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या व्यापार में सकल प्राप्तियां ठीक पूर्ववर्ती पिछले वर्ष के दौरान पचास करोड़ रुपये से अधिक हैं।
- ii. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, धारा 271डीबी को अधिनियम में यह प्रावधान करने के लिए सम्मिलित किया गया था कि अधिनियम की धारा 269एसयू के तहत निर्धारित भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की सुविधा प्रदान करने में विफल रहने पर, प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसा असफलता जारी है, के लिए पांच हजार रुपये की राशि का जुर्माना लगाया जाएगा।
- iii. उपरोक्त के अलावा, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में भी संशोधन किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अधिनियम की धारा 269एसयू के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का उपयोग करने के लिए कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा।

- iv. अधिसूचना सं. 105/2019 दिनांक 30.12.2019 के तहत, नियम 119एए की धारा 269एसयू के प्रयोजनार्थ भुगतान के निम्निलिखित तरीके प्रदान करने के लिए आयकर नियम, 1962 में जोड़ा गया था:
 - (क) रुपे दवारा संचालित डेबिट कार्ड;
 - (ख) एकीकृत भ्गतान इंटरफेस (यूपीआई) (भीम-यूपीआई); तथा
 - (ग) एकीकृत भुगतान इंटरफेस त्वरित प्रतिक्रिया कोड (यूपीआई क्यूआर कोड) (भीम-यूपीआई क्यूआर कोड)
- v. इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.08.2020 के परिपत्र संख्या 16/2020 के तहत, बैंकों को सूचित किया गया था कि अधिनियम की धारा 269एसयू के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करके किए गए लेनदेन पर 1 जनवरी, 2020 को या उसके बाद एकत्र किए गए शुल्क, यदि कोई हों, को तुरंत वापस करें और निर्धारित प्रणाली के माध्यम से किसी भी लेनदेन पर भविष्य में शुल्क न लगाएं।
- vi. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 ने बैंक/डाकघर खाते से ₹1 करोड़ से अधिक की नकद निकासी पर 2% की दर से टीडीएस लगाने का प्रावधान करने के लिए अधिनियम में धारा 194एन सम्मिलित की है। रिटर्न दाखिल करना सुनिश्चित करने और नॉन-फिल्टरों द्वारा नकद निकासी पर नज़र रखने के लिए, वित्त अधिनियम, 2020 ने नकद निकासी की सीमा को घटाकर ₹20 लाख कर दिया और इन नॉन-फाइलर्स द्वारा ₹1 करोड़ से अधिक की नकद निकासी पर 5% से अधिक टीडीएस अनिवार्य कर दिया।
- vii. डिजिटल टर्नओवर के संबंध में छोटे व्यवसायों के लिए अनुमानित लाभ की मौजूदा दर को 8% से घटाकर 6% कर दिया गया है। नकद के अलावा अन्य तरीकों से 95% लेनदेन करने वाले व्यक्तियों के लिए कर लेखापरीक्षा की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- viii. धर्मार्थ संगठनों को नकद दान की सीमा को ₹10,000/- से घटाकर ₹2,000/- कर दिया गया है। राजनीतिक दलों के लिए ₹ 2,000/- से अधिक का नकद दान स्वीकार करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नकद व्यापार व्यय की सीमा ₹ 20,000/- से घटाकर ₹ 10,000/- कर दी गई है।
 - ix. अधिनियम की धारा 269एसटी अन्य बातों के साथ-साथ इसमें निर्दिष्ट परिस्थितियों में दो लाख रुपये या उससे अधिक की नकदी की स्वीकृति को अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के उपयोग के अलावा अन्य तरीकों से प्रतिबंधित करती है। अधिनियम की धारा 269एसएस और 269टी क्रमशः 20,000/- रुपये से अधिक नकद में किसी भी ऋण या जमा की स्वीकृति और पुनर्भुगतान पर रोक लगाती है।
